उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 18/2013

मेसर्स बालाजी मिनिरल एण्ड कोक प्रा0 लि0 निदेशक–मनोज कुमार अग्रवाल
बनाम्
झारखण्ड राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
17-06-2017	–:: आदेश ::–	
	अपीलार्थी मेसर्स बालाजी मिनिरल एण्ड कोक प्रा0 लि0 निदेशक– मनोज कुमार अग्रवाल, पिता– श्री के0 एल0 अग्रवाल, साकिन– मेन रोड, रामगढ़ थाना+पो0+जिला– रामगढ़ द्वारा पिछले तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उक्त वाद में रूचि नही है।	
	सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 1517/खनन दिनांक 17.08.2012 के द्वारा मौजा– कोठीया टांड, लईयों में स्थापित मेसर्स बालाजी मिनिरल एण्ड कोक प्रा0 लि0 (हार्ड कोक उद्योग) का खनिज विक्रेता अनुज्ञप्ति को खनिज विक्रेता अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत वांछित कागजात के अभाव एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी का आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा खनिज विक्रेता अधिनियम 2007 के नियम 11 के तहत अपील दाखिल किया गया है।	
	खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित तथ्य विवरणी, पुलिस अधीक्षक, रामगढ द्वारा प्रेषित पत्र एवं अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया गया। सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ के द्वारा निर्गत आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नही है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।	423/विवि 03/7/17
	लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 17/6/17 उपायुक्त, रामगढ़।	
	(हस्ताक्षर) 17/6/17 उपायुक्त, रामगढ़।	

Scanned with OKEN Scanner

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या–18 / 2013

मेसर्स बालाजी मिनिरल एण्ड कोक प्रा०लि० निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
26/05/25	अभिलेख उपस्थापित। विविध अपील वाद संख्या–18 / 2013 मेसर्स बालाजी मिनिरल एण्ड कोक प्रा०लि० निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक–17.06.2017 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। दिनांक–11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यो की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्त्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करें। Chandan 26/05/25 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.05.28 13:42:21 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned with OKEN Scanner